Vol.11 January18 No.6
Annual Subscription : Rs 100
Rs. 10/- per copy

ब्रह्मार्पण
BRAHMARPAN

वेदोऽखिलो धर्ममूलम्

A Monthly publication of Brahmasha India Vedic Research Foundation

Brahmasha India Vedic Research Foundation
ब्रह्माशा इंडिया वैदिक रिसर्च फाउन्डेशन

आधुनिक याज्ञवल्क्य-गार्गी संवाद

–डॉ. रामवीर

एक दिवस घर के आँगन में
बैठा–बैठा सोच रहा था,
गूढ़ दार्शनिक प्रश्नों का हल
यत्नपूर्वक खोज रहा था।
बहुत सोचने पर भी कोई
उत्तर नहीं समझ में आया,
बेटे को आवाज लगाकर,
उसकी माता को बुलवाया।
पत्नी आई मैंने पूछा
क्या है ब्रह्म व क्या है माया?
पूर्ण रूप से मेरे प्रश्न को
उसने बेहूदा बतलाया।
पत्नी की प्रतिक्रिया से भौंचक
मैंने अपना सर खुजलाया,
नारी सुलभ सहजबुद्धि से
तब उसने कुछ यूँ समझाया।
"तुम जैसों के चिन्तन ने ही
दुनिया का दुःख अधिक बढ़ाया,
कर्मरहित ज्ञान का सेवन
कब है काम किसी के आया।
कर्मप्रधान जगत् की रचना
सम्भव नहीं है कर्म से बचना,
ज्ञान और भक्ति क्या माँगें
ये हैं अधूरे कर्म के आगे।
बिजली का बिल पड़ा है पैंडिंग
क्यों नहीं अब तक जमा कराया?
टेलिफोन इनकमिंग हुआ है
अब कटने का नम्बर आया।
व्यर्थ विचारों में ही विचरते
सारा जीवन वृथा गँवाया,
कोई ठोस काम यदि करते
तो घर में कुछ आती माया।
नारी निकली नर से भारी
क्षण में मिटी समस्या सारी,
जिन प्रश्नों से जूझ रहा था
उनका कारण था बेकारी।
इस कान्तोपदेश का ऐसा
पड़ा प्रभाव दार्शनिक मन पर,
होकर मुक्त विचार जाल से
निकल पड़ा मैं तभी काम पर।

86, सैक्टर 46,
फरीदाबाद, हरियाणा–121003

उत्थान

आध्यात्मिक प्रगति के लिए व्यक्ति को अपनी हर मान्यता को उधेड़–उधेड़ कर देखना पड़ता है, उनकी प्रमाणों से चीरफाड़ करनी पड़ती है, तभी गलत मान्यतायें शिथिल होती है व सही मान्यताएँ दृढ़ हो पाती हैं।

ब्रह्मार्पण
BRAHMARPAN

A bilingual Publication of Brahmasha India Vedic Research Foundation

BRAHMASHA INDIA VEDIC RESEARCH FOUNDATION

C2A/58, Janakpuri,
New Delhi-110058
Tel :- 25525128, 9313749812
*email:*deeukhal@yahoo.co.uk
brahmasha@gmail.com
Website : www.thearyasamaj.org
of Delhi Arya Pratinidhi Sabha

Sh. B.D. Ukhul
Secretary
Dr. B.B. Vidyalankar 0124-4948597
President
Col.(Dr.) Dalmir Singh (Retd.)
V.President
Dr. Mahendra Gupta *V.President*
Ms. Deepti Malhotra
Treasurer

Editorial Board

Dr. Bharat Bhushan Vidyalankar, Editor
Dr. Harish Chandra
Dr. Mahendra Gupta
Sh. Shiv Kumar Madan

लेख में प्रकट किए विचारों के लिए सम्पादक उत्तरदायी नहीं है। किसी भी विवाद की परिस्थिति में न्याय क्षेत्र दिल्ली ही होगा।

Printed & Published by
B.D. Ukhul for Brahmasha India Vedic Research Foundation
Under D.C.P.
License No. F2 (B-39) Press/2007
R.N.I. Reg. No. DELBIL/ 2007/22062
Price : Rs. 10.00 per copy
Annual Subscription : Rs. 100.00

CONTENTS

1. आधुनिक याज्ञवल्क्य–गार्गी संवाद –डॉ. रामवीर 2
2. संपादकीय 4
3. सांख्य दर्शन 7 –डॉ. भारत भूषण
4. भारतीय गणराज्य और न्याय व्यवस्था –अवधेश कुमार 8
5. वन्दे मातरम् ही है राष्ट्र भक्ति का प्रतीक 14 –डॉ. सुशील गुप्ता
6. जीते जी मुक्ति प्रदान करता है योग 20 –सुरक्षित गोस्वामी
7. अश्लीलता के विरुद्ध अभियान की एक झलक 24 –संजय कुमार बंसल, एडवोकेट
8. हमारे न्यायालय सुस्त क्यों? 28 –विद्युत विद्यालंकार
9. देवता और असुर में अंतर 28
10. मुस्लिम कानून–संविधान की कसौटी पर 28 –भगवतीप्रसाद सिंहल
11. प्रश्न उत्पीड़न से महिलाओं की मुक्ति का 28 –विद्युत विद्यालंकार
12. Sanyas Isn't About What You Give Up 32 *-Gurudevshri Rakeshbhai*

संपादकीय

काँग्रेस का मिथ्या पंथ-निरपेक्षतावाद

-भारत भूषण विद्यालंकार

भारत में मिथ्यापंथ-निरपेक्षता का लबादा ओढ़े काँग्रेसियों ने देशभक्त राष्ट्रवादियों को आतंकवादी बताने का भरपूर यत्न किया। यह बात पूरी तरह सही है कि आतंकवाद का कोई रंग नहीं होता। यदि कोई भगवा, हरा, लाल; नीला, काला या किसी रंग को आतंक का रंग मानता है तो गलत है, भगवा शब्द भगवान का प्रतीक है परन्तु हमारे देश में भगवा रंग पर ओछी राजनीति की गई है। अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए विपक्ष के नेताओं-राहुल गाँधी, चिदंबरम, दिग्विजय सिंह आदि ने भगवा आतंकवाद जुमले का सहारा लिया। वस्तुतः काँग्रेसी भगवा आतंकवाद पर प्रहार कर मुसलमानों के बीच नायक बनना चाहते हैं। इन नेताओं को इतिहास पर दृष्टिपात करके देखना चाहिए कि भगवा संस्कृति और उसे मानने वाले देशभक्त कितने उदार और अहिंसक रहे हैं। मिथ्या पंथ-निरपेक्षतावादियों ने भारत का विभाजन स्वीकार कर देश के साथ घोर अन्याय किया।

किसी समय काँग्रेस के उपाध्यक्ष (अब अध्यक्ष) राहुल गाँधी ने प्रतिबंधित आतंकी संगठन सिमी की तुलना राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से की थी। इस तरह उसने अपनी राजनीतिक अपरिपक्वता का परिचय कराया। आज भी गुजरात के चुनाव में वे हिन्दू राष्ट्रवादियों को आतंकवादी कहते फिर रहे हैं। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी की देखा-देखी मंदिरों के भी चक्कर काट रहे हैं।

इसमें संदेह नहीं कि संघ राष्ट्रवादी संगठन है और भारतीय संस्कृति का पोषक है। इसकी राष्ट्रभक्ति पर संदेह नहीं किया जा सकता। एक बार वर्धा आश्रम में गाँधीजी ने संघ के शिविर में अनुशासनप्रियता और जाति-पांति के विचार से रहित भावना को देखकर कहा था कि काँग्रेस के पास ऐसे अनुशासित कार्यकर्ता हों तो ये अंग्रेजों को देश छोड़ने के लिए जल्द ही मजबूर कर दें। डॉ. लोहिया ने भी संघ के बारे में कहा था कि यदि मेरे पास संघ जैसा संगठन हो तो मैं पूरे देश में पाँच साल में समाजवादी समाज की स्थापना कर सकता हूँ। संघ ऐसा संगठन है जिसकी प्रशंसा स्वयं पं. जवाहरलाल नेहरु और लाल बहादुर शास्त्री ने भी की थी। सन् 1962 के भारत-चीन के युद्ध के समय संघ कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार भारत की सेनाओं का मनोबल बढ़ाने के लिए पूरे देश में आगे बढ़कर नागरिक क्षेत्रों में मोर्चा संभाला उसे देखकर पं. नेहरु को भी राष्ट्रीय स्वंय सेवक संघ की राष्ट्रभक्ति की प्रशंसा करनी पड़ी थी और उसके बाद 26 जनवरी की परेड में संघ के गणवेशधारी स्वयं सेवकों को शामिल किया था। 1965 के भारत-पाक युद्ध के समय भी संघ के स्वयं सेवकों ने पूरे देश में आन्तरिक सुरक्षा बनाए रखने में पुलिस की सहायता की थी और छोटे से लेकर बड़े शहरों तक में इनके गणवेशधारी कार्यकर्ता नागरिकों को पाकिस्तानी हमले के समय अपनी सुरक्षा का प्रशिक्षण दिया करते थे। इनकी जुबान पर हमेशा भारतमाता की जय का नारा रहता है।

भारत में हिन्दू संस्कृति की चर्चा करना क्या अपराध है? संघ पर महात्मा गाँधी की हत्या के बाद प्रतिबंध लगाया गया

था जिसका जिक्र आज भी काँग्रेस और विरोधी करते रहते हैं परन्तु बापू की हत्या में सुप्रीम कोर्ट में संघ के किसी कार्यकर्ता का हाथ नहीं पाया गया था। हिन्दू महासभा के नेता स्व. दामोदर सावरकर को भी इस हत्याकांड में गिरफ्तार किया गया था, परन्तु उनकी राष्ट्रभक्ति पर भी क्या कोई काँग्रेसी अंगुली उठा सकता है? सावरकर के गुरु बंगाल के क्रांतिकारी श्री श्यामजी कृष्ण वर्मा थे। संघ और हिन्दू महासभा की विचारधारा में भी आरंभ से ही मूलभूत अन्तर रहा है।

हिन्दू महासभा राजनीति का हिन्दूकरण और हिन्दुओं के सैनिकीकरण के पक्ष में थी जब कि संघ के संस्थापक डॉ. हेडगेवार मजबूत सांस्कृतिक संगठन बनाना चाहते थे। इस तथ्य को कैसे अस्वीकार किया जा सकता है कि 1947 में भारत के विभाजन के समय संघ के कार्यकर्ताओं ने पश्चिमी पाकिस्तान के मोर्चे पर हिन्दुओं की रक्षा की थी।

संघ भारतीय संस्कृति का विश्व-विद्यालय रहा है। यह जिस हिन्दू गौरव की बात करता है उसका अभिप्राय मुस्लिम विरोधी नहीं है अपितु मुस्लिमों को भारतीयता से युक्त करना है। वे भारत में रहें तो भारतीय बन कर रहें और भारतीय संस्कृति के पोषक बनें। अपनी अलग इस्लामी पहचान न रखें। आज देश में आवश्यकता है कि सभी मत-मतान्तर एकता के सूत्र में बँधे हों, कोई भी देश में आपसी भेदभाव को बढ़ावा न दे। हमें ओवैसी जैसे कट्टरपंथी मुसलमानों से सावधान रहने की आवश्यकता है।

संपादक

सांख्य दर्शन (अध्याय–1, सूत्र–120)

–डॉ. भारत भूषण विद्यालंकार

सभी आत्माओं में चेतना समान है, इसे कैसे जाना जा सकता है। इसे सूत्रकार ने निम्नलिखित सूत्र में स्पष्ट किया है, सूत्र है–

विदितबन्धकारणस्य दृष्ट्या तद्रूपम्।।120।।

अर्थ–(विदितबन्धकारणस्य) बन्ध के कारण को जाने हुए की (दृष्ट्या) दृष्टि से (तद्रूपम्) वह चेतनास्वरूप जाना जाता है।

भावार्थ– जिस व्यक्ति ने समाधिलाभ के अनन्तर आत्मा के बन्ध के कारणों का साक्षात्कार करके विवेकज्ञान प्राप्त कर लिया है, ऐसे आत्मदर्शी योगी के विवेकज्ञान द्वारा आत्मा का वह चेतना रूप जाना जा सकता है। 'मैं हूँ' की लौकिक प्रतीति में आत्मा के अस्तित्व का अनुभव होने पर भी उसके स्वरूप का साक्षात्कार नहीं हो पाता। वह इन्द्रियातीत तत्त्व है। समाधिलाभ द्वारा आत्मदर्शन उसका साक्षात्कार है। समस्त आत्मचेतना स्वरूप को जानने–समझने का एकमात्र उपाय यही है।।120।।

दी हिबिस्कस,
बिल्डिंग–5, एपार्ट नं.–9बी
सेक्टर–50, गुड़गाँव (हरियाणा) 122009
फोन–0124–4948597

भारतीय गणराज्य और न्याय व्यवस्था

-अवधेश कुमार

न्याय तो स्थानीय स्तर पर ही संभव है क्योंकि वहाँ लोगों को सच पता होता है तथा दोनों पक्षों को अपनी बात अपनी भाषा और अपने तरीके से रखने की आजादी होती है इसलिए भारत की परम्परागत न्यायप्रणाली को पुनर्जीवित और सशक्त करने की जरूरत है।

मुख्य न्यायाधीश के. जी. बालाकृष्णन ने 12 दिसम्बर को बेंगलूर के एक कार्यक्रम में विलंबित न्याय को लेकर जैसी शब्दावली प्रयुक्त की है, वह भयभीत करने वाली है। हालाँकि देश की धड़कन समझने वालों के लिए इसमें अचम्भे की कोई बात नहीं है। न्यायमूर्ति बालाकृष्णन ने एक न्यायविद् के नजरिये से वही कहा है जो उन्होंने अपने लम्बे अनुभवों से महसूस किया है। उनकी चेतावनी है कि मुकदमों के निपटारे में विलम्ब यानी लोगों को न्याय मिलने में ऐसे ही देरी होती रही तो लोग कब तक न्याय की उम्मीद में खामोश प्रतीक्षा करते रहेंगे? एक न एक दिन उनका धैर्य टूटेगा और वे न्याय व्यवस्था को ही ठेंगा दिखाकर बागी हो जाएँगे। यदि उस स्थिति से बचना है यानी लोकविद्रोह और उस कारण सम्पूर्ण व्यवस्था के छिन्न-भिन्न होने से देश को बचाना है तो फिर हमें शीघ्र न्याय दिलाने की स्थिति पैदा करनी होगी।

भारत में विलंबित न्याय लम्बे समय से चिन्ता का विषय है। औसत मुकदमों के फैसले में 15-20 वर्ष का समय लगता है। इतनी देर धैर्य रखना सामान्य बात नहीं है। वैसे, यह अवधि ा औसत है। ऐसे मुकदमों की संख्या भी काफी है, जो कई पीढ़ियों से एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय का चक्कर लगा रहे हैं। दीवानी मामलों के बारे में यह कहावत ही है कि आपने कोई मामला दायर किया और आपके पोते के समय अंतिम फैसला आ गया तो भी गनीमत है। न्यायप्रणाली की विलंबित धुन का राग इसे अन्याय प्रणाली सदृश बना देता है। न्याय का अर्थ ही है- 'त्वरित'। किसी के साथ अन्याय अभी हुआ है तो उसे न्याय उसी समय या कुछ दिनों में चाहिए, तभी उसका महत्त्व है। जब वह अपने स्तर पर अन्याय से होने वाली हानि की भरपाई कर चुका या अन्याय को भुलाकर नए सिरे से जिन्दगी की शुरूआत कर चुका, उसके बाद आप

उसे कैसा न्याय देंगे? किन्तु, ब्रिटिश न्यायप्रणाली (हमारी न्यायप्रणाली इसी का प्रतिरूप है) के सिद्धान्त में किसी के साथ अन्याय हो जाए यानी गलत फैसला हो जाए तो इससे हर सम्भव बचने का प्रयास होना चाहिए। इस सिद्धान्त के पालन के लिए प्रतिवादी को बचाव का अधिकतम अवसर उपलब्ध् ा कराया जाता है। इसमें मुकदमों को लम्बा खींचने का सूत्र निहित है। आप बहाना बनाकर कई तारीखें बिना सुनवाई के ही निकाल सकते हैं। वादी की अपील पर न्यायालय का तर्क होता है कि हमें उनको अवसर तो देना होगा। इससे विलम्ब होता जाता है और धीरे-धीरे न्याय का दरवाजा खटखटाने वाले की रुचि समाप्त हो जाती है। इस स्थिति को बदला जाना चाहिए।

हमें विलंबित न्याय की स्थिति पर दो दृष्टिकोणों से विचार करना होगा। एक दृष्टिकोण पूर्णतया वर्तमान न्यायप्रणाली के अन्दर विचार करने का है और दूसरा न्याय के लिए इस प्रणाली के बाहर। न्यायमूर्ति बालाकृष्णन ने इस न्यायिक ढाँचे के तहत अपना विचार व्यक्त किया था। मुकदमों की बढ़ती संख्या एवं न्यायालयों तथा न्यायाधीशों की कम संख्या को उन्होंने इसका मुख्य कारण माना था। सामान्य तौर पर यह तर्क वाजिब और व्यावहारिक लगता है कि यदि न्यायालयों और उनके न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा दी जाए तो मुकदमों का भार घटेगा और फैसले में इस कारण होने वाली देरी नहीं होगी। किन्तु दूसरे दृष्टिकोण से सोचिए। अभी से दोगुने न्यायालयों के लिए आधारभूत संरचना पर कितना व्यय भार राज्यों के सिर पर आ जाएगा। उनके अनुसार न्यायाधीशों तथा अन्य कर्मचारियों की भी नियुक्ति करनी होगी। यदि कनाडा और अमेरिका से तुलना करें तो न्यायाधीशों की संख्या में पाँच से सात गुना बढ़ोतरी करनी होगी। तकनीकी विकास के बाद गवाहों से पूछताछ, झूठ और सच का फैसला करने की मशीन, फोरेंसिक जाँच प्रयोगशाला आदि सुविधाएँ भारत में वैसे ही कम हैं और विलंबित न्याय के लिए इन्हें भी जिम्मेदार माना जाता है। इन सबका संतुलित ढाँचा खड़ा करने में न जाने कितनी राशि एकमुश्त एवं उनके संचालन तथा रख-रखाव पर स्थायी खर्च करते रहनी होगी। इस कल्पना मात्र से ही सिर चकरा जाता है। इतने खर्च के बाद हो सकता है कि मुकदमों का निपटारा कुछ कम समय में हो जाए लेकिन न्याय मिल ही जाएगा

इसकी क्या गारंटी है।
आजादी के बाद जितना सुधार होना चाहिए था, उतना नहीं हुआ। न्यायप्रणाली की सबसे बड़ी खामी यह है कि इसका स्थानीयता से सम्बन्ध नहीं होता। सम्पूर्ण देश के लिए लगभग एक ही कानून और न्याय का एक ही तरीका यह पश्चिमी देशों के लिए उपयुक्त हो सकता है भारत के लिए नहीं। कानून की किताबों में कई अपराध हैं जो देश के विभिन्न कोनों में जीवनशैली और परम्परा के अंग हैं। कानून और कानून प्रक्रिया आम आदमी की समझ से परे हैं। यह प्रक्रिया क्यों है, इसे भी आम आदमी नहीं समझ पाता। आप नागरिक न्यायालय में जाते ही स्वयं को पंगु और भौंचक्क जैसी स्थिति में पाते हैं। अंग्रेजों के आने के पहले भारत में जो न्यायप्रणाली थी, वह मूलतः स्थानीयता पर निर्भर थी जिसे न्यायमूर्ति बालाकृष्णन ने पश्चिमी कानूनी शब्दावली का प्रयोग करते हुए मध्यस्थता और समझौता कहा है, वह हमारे समाज का स्वभाव था। कालक्रम में उसमें दोष आए लेकिन आज तक वह संस्कार के रूप में विद्यमान है। न्यायमूर्ति कहते हैं कि चीन में 80 प्रतिशत मामले इसी में सुलझ जाते हैं और केवल 20 प्रतिशत न्यायालयों में आते हैं। उनका मानना है कि भारत में केवल पाँच प्रतिशत मामले ही समझौता और मध्यस्थता से सुलझते हैं। ये आँकड़े वास्तविकता से परे हैं। न्यायिक रिकार्ड में भले संख्या जितनी दर्ज हो समाज विघटन और शहरीकरण के कारण सामूहिक रिश्तों के कमजोर पड़ने के बावजूद सामान्य मतभेदों और झगड़ों का निपटारा आपस में हो जाता है। हाँ, समाज को इसका वैध अधिकार नहीं है और स्थानीय स्तर पर पुलिस प्रशासन की भूमिका इसे हतोत्साहित करने की है। न्याय तो स्थानीय स्तर पर ही सम्भव है क्योंकि वहाँ लोगों को सब पता होता है तथा दोनों पक्षों को अपनी बात अपनी भाषा और अपने तरीके से रखने की आजादी होती है। इसीलिए भारत की परम्परागत न्यायप्रणाली को पुनर्जीवित और सशक्त करने की जरूरत है न कि न्यायालयों और न्यायाधीशों की संख्या एवं आधारभूत संरचना बढ़ाने की। बगावत टालने की क्षमता भी स्थानीय न्यायप्रणाली की आवश्यकता महसूस नहीं करती। उन्होंने कहा था कि यदि कुदरती तौर पर न्यायालय व्यवस्था समाप्त हो जाए तो वे स्वागत करेंगे।

वन्दे मातरम् ही है राष्ट्र भक्ति का प्रतीक

-डॉ. सुशील गुप्ता

1947 में भारत की तथाकथित आजादी और भारतभूमि के विखण्डन के बावजूद हम भारतवासी आज भी मानसिक गुलामियों का जीवन जी रहे हैं। भारत का बाजार विदेशी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का गुलाम है, भारतीय राजनीति चर्च नियन्त्रित विदेशी ईसाई महिला की गुलाम है, भारतीय जनजीवन पश्चिमी सभ्यता का गुलाम है, भारतीय कानून व्यवस्थायें मुस्लिम तुष्टीकरण की गुलाम हैं, भारतीय राष्ट्रगान तक विदेशी जार्ज पंचम की स्तुति में टैगोर द्वारा 1911 में लिखे गये स्तुतिगान "जन गण मन" का गुलाम है, आदि आदि! आज भारत का हर राष्ट्रीय, सरकारी समारोह और उत्सव तथा छोटे-छोटे समारोह तक इसी गुलामी के प्रतीक चिह्न "जन गण मन अधिनायक" के साथ सम्पन्न हो रहे हैं। क्योंकि वन्दे मातरम् तो हिन्दू साम्प्रदायिकता का प्रतीक बना दिया गया है। परन्तु इन दोनों में अन्तर समझकर ही इसका निर्णय किया जा सकता है।

23 जून 1838 में पश्चिम बंगाल के हुगली में जन्मे बंकिमचन्द्र चटर्जी बचपन से बहुत होशियार और साहित्य में रुचि रखने वाले थे। वे भारतीय प्रशासनिक सेवा में आने वाले प्रथम भारतीय थे। वे डिप्टी कलेक्टर बने। अपने सेवा काल के दौरान वे साहित्य लिखने लगे थे। वे अंग्रेजी व बंगाली दोनों में लिखते थे। 1864 में उनका पहला बंगला उपन्यास "दुर्गेश नन्दिनी" बहुत लोकप्रिय हुआ। इसके बाद उनके "आनन्द मठ" ने उन्हें अमर स्थान दिला दिया। इसमें ही 'वन्दे मातरम्' नामक अमर राष्ट्रीय गीत लिखा गया था। वैसे इस गीत की रचना चटर्जी ने "आनन्द मठ" की रचना से कई वर्ष पूर्व ही कर ली थी। बाद में 1882 में आनन्दमठ में जोड़कर उसे प्रकाशित किया। यह उपन्यास देश को मातृभूमि और माँ मानकर उसकी पूजा करने वाले और उसके लिये तन-मन-धन अर्पित करने वाले युवाओं की कथा थी। इस उपन्यास में क्रान्ति की ज्वाला देखकर तत्कालीन शासक अंग्रेजों ने इस पर कई बार

प्रतिबंध लगाया और इसे नष्ट करने के प्रयास किये। परन्तु यह "वन्दे मातरम्" गीत जनमत का कण्ठहार बनता जा रहा था। 8 अप्रैल 1894 को बंकिम चन्द्र चटर्जी का देहान्त हो गया।

1905 (जून) अंग्रेज गवर्नर लार्ड कर्जन ने बंगाल को हिन्दू-मुस्लिम जनसंख्या के आधार पर पूर्वी (मुस्लिम बहुल) और पश्चिमी (हिन्दू बहुल) दो हिस्सों में बाँट दिया। जो लगभग 6 वर्षो तक सफलतापूर्वक चला। इसी आन्दोलन के अर्न्तगत 7 अगस्त 1906 को कोलकाता के टाउनहाल में एक विशाल जनसभा हई जिसमें पहली बार यह गीत गाया गया। इसके एक माह बाद 7 सितम्बर को वाराणसी के काँग्रेस अधिवेशन में भी इसे गाया गया। धीरे-धीरे यह पूरे भारत में लोकप्रिय होकर आजादी के आन्दोलन का सूत्र, मंत्र व कण्ठहार बन गया। इस बंग-भंग आन्दोलन के फलस्वरूप अंग्रेजी सरकार के प्रशासन व व्यापार सब ठप्प हो गये। वन्देमातरम् रूपी चिंगारी सारे भारत में फैल गई थी। इसलिए 1911 में अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन को वापस ले लिया तथा इस आन्दोलन और वन्देमातरम् गान से डरकर अपनी राजधानी कोलकाता से हटाकर दिल्ली कर दी। इसी समय जार्ज पंचम इंग्लैण्ड से भारत आया। उस समय उसके अभिनन्दन और स्तुति के लिए अंग्रेजी सरकार ने कवि रवीन्द्रनाथ टैगोर से "जन गण मन अधिनायक जय हो" नामक गीत लिखवाया। यह बात टैगोर ने अपने बहनोई श्री सुरेन्द्र नाथ बेनर्जी को पत्र लिखकर बताई, श्री बेनर्जी सरकार के आईसीएस अफसर थे। रवीन्द्रनाथ टैगोर का पूरा परिवार ही अंग्रेजों के लिए समर्पित था। इनके बड़े भाई श्री अवनीन्द्रनाथ टैगोर ईस्ट इण्डिया कम्पनी की कोलकाता डिवीजन में डायरेक्टर थे। इसीलिये वन्देमातरम् से चिढ़कर अंग्रेजों ने रवीन्द्रनाथ से जनगणमन गीत लिखवाया। यह गीत जार्ज पंचम को तो पहले समझ नहीं आया, परन्तु उसने फिर इसका अंग्रेजी अनुवाद कराया। इसको समझते ही वह प्रसन्न हो गया और वह बोल उठा कि मेरी

इतनी चाटुकारिता और खुशामद तो कोई इंग्लैण्ड में भी नहीं करता, इसलिए इसके लेखक टैगोर को बुलवाया जाये।' उस समय जार्ज पंचम विश्व प्रसिद्ध पुरस्कार "नोबेल पुरस्कार कमेटी" का अध्यक्ष भी था। अतः उसने इस चाटुकारी गीत से खुश होकर टैगोर को नोबेल पुरस्कार देने का निश्चय किया। परन्तु टैगोर के आग्रह पर यह पुरस्कार उनकी अन्य रचना "गीताञ्जलि" पर देना प्रचारित किया गया। 1913 में टैगोर को यह नोबेल पुरस्कार मिला।

1914 में अंग्रेजों ने उनकी भक्ति व साहित्य से प्रसन्न होकर उन्हें "सर" की उपाधि से भी विभूषित किया। 1919 को पंजाब में जलियाँवाला बाग काण्ड के बाद महात्मा गाँधी ने टैगोर को अंग्रेजों की चाटुकारिता और मिली उपाधियों के विषय में फटकारा, टैगोर ने अंग्रेजों से मिली अपनी उपाधियाँ, पुरस्कार आदि वापस किये तथा अंग्रेजों के विरोधी बन गये।

इस समय काँग्रेस में नरम दल व गरम दल के रूप में दो पक्ष थे। गरम दल वाले घोर अंग्रेज विरोधी थे और वन्देमातरम् का गान पसन्द करते थे। जबकि नरम दल वाले अंग्रेज समर्थक थे तथा "जनगण" गीत को पसंद करते थे। इसलिए नरम दल वाले तथा कुछ साम्प्रदायिक और अंग्रेजपरस्त मुस्लिम नेताओं ने "वन्देमातरम्" को बुतपरस्ती बताना शुरू कर दिया। दिसम्बर 1923 में काँग्रेस का अधिवेशन काकीनाड़ा में हुआ। इसकी अध्यक्षता मौलाना मौहम्मद अली जौहर ने की। उन्होंने अपने भाषण में 'स्वराज्य' (सबका राज्य) बताया। उसने इस अधिवेशन में वन्देमातरम् गान का खुला विरोध किया और काँग्रेस अधिवेशन का अपमान करने वाले इसी मौहम्मद अली जौहर के नाम पर अब सपा नेता आजमखान रामपुर (उ.प्र.) में मुलायम सिंह के सहयोग से एक उर्दू-अरबी-फारसी विश्वविद्यालय खुलवाने की जुगाड़ में है। यह जौहर बाद में जिन्ना की मुस्लिम लीग से भी जुड़े रहे। वन्देमातरम् गान का संगीत व लय पं. विष्णु दिगम्बर पलुस्कर ने बनाई थी। 1947 में कथित स्वतन्त्रता के बाद राष्ट्रगान के विषय पर संविधान सभा के 319 में से 317 लोग 'वन्देमातरम्'

के पक्ष में तथा अकेले जवाहरलाल नेहरू 'जनगणमन' के पक्ष मे थे। तब महात्मा गाँधी ने बीच का रास्ता निकालते हुए तीसरे गीत "विजय विश्व तिरंगा प्यारा" को राष्ट्रगान बनाने का अनुरोध किया। परन्तु गाँधी जी की हत्या हो जाने के बाद नेहरू ने सत्ता शक्ति के कारण "जनगणमन अधिनायक" को राष्ट्रगान बनवा डाला क्योंकि उनके अनुसार यह आर्केस्ट्रा पर तथा अच्छी धुन के साथ बज सकता था। आज से कुछ वर्ष पूर्व हुए एक सरकारी सर्वे के अनुसार भारत में 98.8 प्रतिशत लोग तथा 99 प्रतिशत आप्रवासी-भारतीय (NRI) वन्देमातरम् को ही श्रेष्ठ गान मानते हैं। एक अन्य बीबीसी सर्वे के अनुसार वन्देमातरम् विश्व का दूसरा सबसे लोकप्रिय गान है। अब हम सबको यह तय करना है कि भारतवासी आज भी गुलाम हैं या स्वतन्त्र! इसका मापदण्ड केवल 'वन्देमातरम्' ही हो सकता है।

हिन्दू सभा से साभार

अंग्रेजी में फेल

(शास्त्री जी का स्वाभिमान)

-विनोद कुमार यादव

सन् 1965 में अमेरिका ने भारत को गेहूँ का आयात बंद कर दिया तो तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित एक विशाल रैली की। रैली में वह बोले, 'मेरे प्रिय भारतवासियो, एक तरफ पड़ोसी देश से सीमा पर युद्ध चल रहा है। दूसरी ओर अमेरिका ने दबाव बनाने के लिए हमें गेहूँ भेजना बंद कर दिया है। हमने अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए इस चुनौती को स्वीकार किया है। मैं देश के प्रत्येक नागरिक से निवेदन करता हूँ कि वह फिजूलखर्ची बंद कर दे और देश की अर्थव्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए सप्ताह में एक दिन उपवास रखे।' फिर क्या था, लोगों ने सप्ताह में एक दिन उपवास रखना आरंभ कर दिया। शास्त्रीजी भी हर सोमवार को व्रत रखते थे। शास्त्री जी की पत्नी ललिता देवी प्रायः बीमार रहती थीं इसलिए उनके घरेलू कार्य, काम वाली बाई करती थी। शास्त्रीजी ने देशहित की खातिर बाई को सेवामुक्त कर दिया और घर का काम खुद करने लगे। शास्त्रीजी अपने कपड़े स्वयं धोते थे। उनके पास केवल दो जोड़ी धोती-कुर्ता ही थे। एक दिन शास्त्रीजी की धोती कपड़े धोते समय फट गई। पत्नी बोली, 'आप नई धोती खरीद लाइए।' शास्त्रीजी ने कहा, 'मैं नई धोती खरीदकर लाने की कल्पना भी नहीं कर सकता, बेहतर होगा कि आप सुई धागा लेकर इसे सिल दो।' उनके घर पर बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाने के लिए एक ट्यूटर भी आया करता था। शास्त्रीजी ने जब उसे भी ट्यूशन हटाने के लिए कहा तो वह कहने लगा, 'बच्चे तो अंग्रेजी में फेल हो जाएँगे।' शास्त्रीजी ने उसे समझाया, "देश के हजारों बच्चे अंग्रेजी में फेल होते हैं, अगर मेरे बच्चे भी फेल हो जाएँगे तो क्या। अंग्रेजी में फेल होना स्वाभाविक है क्योंकि यह हमारी मातृभाषा भी नहीं है।' आज शास्त्रीजी हमारे बीच नहीं हैं किन्तु उनके मूल्य व आदर्श सदैव साथ रहेंगे।

जीते जी मुक्ति प्रदान करता है योग

–सुरक्षित गोस्वामी

योग के बिना स्वास्थ्य, शान्ति और मुक्ति संभव नहीं है। यह बिना खर्च के शरीर की ही ऊर्जा से उसको स्वस्थ कर, मन को शांत बनाने की क्रिया है। हमारे ऋषियों की यह अनूठी परंपरा मानव को प्रसन्न रहकर जीना सिखाती है और मुक्ति चाहने वाले साधकों को मुक्त कर देती है। योग साधना वैदिक युग से चली आ रही है। समय-समय पर अनेक ऋषि-मुनियों ने खोज व तपस्या के द्वारा योग की सिद्धियों को अनुभव किया है।

प्राचीन काल से आज तक ऐसा कोई समय नहीं रहा जब योग साधक गुफाओं में बैठकर साधना न करते हों या गृहस्थी में रहकर योग का अभ्यास न करते हों। यूँ तो भारत में योग के अनेक ऋषि हुए हैं पर इनमें सबसे प्रमुख दो हैं महर्षि पतंजलि और गुरु गोरखनाथ। आज हम मानते हैं कि जो योगाभ्यास हम करते हैं, वे महर्षि पतंजलि के बताए हुए हैं, पर ऐसा नहीं है। पतंजलि की योग साधना मुक्ति की साधना है। रोग चिकित्सा, शरीर को लचीला व स्वस्थ बनाने के लिए आसन, प्राणायाम से ऊपर वह उच्च कोटि की साधना है जो कैवल्य प्राप्ति अर्थात् मुक्त हो जाने के लिए की जाती है। उनके अष्टांग योग में आया आसन और प्राणायाम का वर्णन चित्त की सफाई और ध्यान की ओर ले जाने के लिए है।

नाथयोग की परंपरा

पतंजलि ने अपने 'योगसूत्र' में आध्यात्मिकता की उच्च अवस्था का वर्णन किया था। यह अध्यात्म की दृष्टि से व्यवस्थित और क्रमबद्ध शास्त्र है। लेकिन हम आज जितने भी आसन, प्राणायाम, षट्कर्म, मुद्राएँ, ध्यान की विधियों, नादानुसंधान, सोऽहं का अजपाजाप, कुण्डलिनी शक्ति की साधना, चक्र साधना, नाड़ी विज्ञान, शिव साधना, शक्ति साधना, गुरु के प्रति भक्ति, पिंड-ब्रह्माण्ड विवेचन आदि साधनाएँ करते हैं, ये सब नाथयोग की देन हैं। योग द्वारा चिकित्सा

और मन की शांति के लिए ध्यान भी नाथयोग से आया है। आज जितना भी योग का फैलाव है उसका आधार नाथयोग ही हैं जिसको हम कपालभाति प्राणायाम के नाम से जानते हैं, वह प्राणायाम नहीं है, बल्कि षट्कर्म का अभ्यास है, इसके अतिरिक्त धौति, बस्ती, नेति, न्योलि, त्राटक ये सभी क्रियाएँ भी हठयोग की ही साधना हैं। ताड़ासन, चक्रासन, हलासन, सर्वांगासन, भुजंगासन, धनुरासन, मंडूकासन, बकासन, मयूरासन, शीर्षासन, वृक्षासन, पद्मासन, श्वसन, आदि जितने भी आसन हम करते हैं ये सभी हठयोग के हैं। अनुलोम-विलोम, नाड़ीशोधन, उज्जायी, शीतली, सीत्कारी, भस्त्रिका, भ्रामरी आदि प्राणायाम हठयोग के हैं। मूलबन्ध, उड्डियान बंध और जालंध ार बंध भी हठयोग से संबद्ध हैं।

लेकिन महत्त्वपूर्ण बात यह है कि हठयोग की साधना और कुछ नहीं बल्कि नाथयोग की ही साधना का एक अंग है। अतः आज हम जो भी योगाभ्यास कर रहे हैं, वह सब असल में नाथयोग की परंपरा का ही अभ्यास है। नाथ में 'ना' का अर्थ होता है शिव और 'थ' का अर्थ है शक्ति। नाथ योग शक्ति को शिव से मिलाने की प्रक्रिया है। इसमें साधक विभिन्न योगाभ्यासों से शरीर को हल्का, मजबूत व निरोगी बनाकर मन को एकाग्र व शांत करते हैं, चक्र साधना से कुण्डलिनी शक्ति को जगाते हैं जिससे वह शक्ति सहस्रार चक्र अर्थात् शिव के साथ 'एक' हो जाती है और साधक मुक्ति को प्राप्त होता है। इन क्रियाओं के जरिये मुक्ति मरने के बाद नहीं बल्कि जीते जी होती है।

नाथ संप्रदाय आदिनाथ भगवान शिव की परंपरा से चला आ रहा है। इसमें समय-समय पर अनेक सिद्ध योगी हुए हैं। इनमें नौ नाथ प्रमुख हैं, इसके अलावा चौरासी नाथ सिद्धों का भी वर्णन है। लेकिन इन सभी में गुरु मत्स्येन्द्रनाथ और उनके शिष्य गुरु गोरखनाथ प्रमुख रहे हैं। ये भगवान शिव के मानस पुत्र माने जाते हैं। कहा जाता है कि गुरु गोरखनाथ का जन्म गुरु मत्स्येन्द्रनाथ द्वारा दी गई भभूत से हुआ था। एक समय ऐसा आया जब गोरखनाथ साधना में अपने गुरु से भी आगे

निकल गए थे। गुरु गोरखनाथ के विषय में कहा जाता है कि वे अत्यंत सुंदर व्यक्ति थे।

उनके सिर पर जटाएँ, माथे पर भस्म, शरीर सुडौल और बड़ा आकर्षक था। ऐसे कम ही महापुरुष होंगे जिनके साथ सौंदर्य का इतना गहरा भाव चित्रित किया गया हो। गोरखनाथ भारतीय परंपरा में सबसे सुंदर योगी थे लेकिन उनकी अपने शरीर के प्रति बिल्कुल भी असक्ति नहीं थी। वे अपना रूप बदलने में भी अत्यंत कुशल थे। गोरक्षनाथ तेजस्वी, ओजस्वी, उदारवादी, कवि, लोकनायक, चतुर व दार्शनिक योगी थे। नाथ संप्रदाय में उनको आदि पुरुष, ब्रह्म तुल्य, अमरु, एवं शिवावतार माना जाता है, उन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की जिनमें अमनस्कयोग, गोरक्षा पद्धति, गोरक्ष चिकित्सा, महार्थ मंजरी, योग बीज, हठयोग, सबदी, पद आदि साठ से ज्यादा हिन्दी और संस्कृत ग्रंथों का वर्णन आता है।

परमपद का मार्ग

गुरु गोरखनाथ कहते हैं- संयमित जीवन में शारीरिक सुख ही स्वर्ग है, जीवन में रोग व दुख की अवस्था ही नरक है, कर्म ही बंधन है और इच्छा रहित सहज स्वाभाविक अवस्था ही मुक्ति है। गोरखनाथ ने 'योत्पिण्डे तद् ब्रह्माण्डे' का विवेचन भी बड़े विस्तार से किया है। नाथ परंपरा में गुरु द्वारा शिष्य को मंत्र दीक्षा दी जाती है। इस मंत्र का जप ही शिष्य को परमपद तक पहुँचाने में सहायक होता है।

नाथपंथ में दीक्षा के समय शिष्य के कान फाड़े जाते हैं जिनको कनफटा योगी कहते हैं। दूसरे औघड़ कहलाते हैं जिनके कान नहीं फाड़े जाते। तीसरे दरसनी योगी और चौथे अवधूत योगी कहलाते हैं। गुरु गोरखनाथ का गोरखपुर (उत्तरप्रदेश) में मंदिर और मठ है। उसी गुरु-शिष्य परंपरा में महंत योगी आदित्यनाथ भी आते हैं जो अभी उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। विश्व योग दिवस पर हम महर्षि पतंजलि व गुरु गोरखनाथ को नमन करते हैं।

अश्लीलता के विरुद्ध अभियान की एक झलक

–संजय कुमार बंसल, एडवोकेट

भारतवर्ष के प्रत्येक क्षेत्र में बढ़ रहे अश्लीलता, नग्नता एवं निर्लज्जता प्रधान प्रदर्शन को भारतीय कानून की परिधि में नियंत्रित किये जाने हेतु हम निरन्तर प्रयासरत हैं।

सर्वप्रथम 6 मार्च, 2000 को महानगर मुरादाबाद के दिलशाद सिनेमा की बिल्डिंग पर लगा महिला का अर्द्धनग्न पोस्टर स्थानीय अपरजिलाधिकारी (नगर) तत्कालीन श्री विपिन कुमार द्विवेदी के सहयोग से हटवाये जाने के पश्चात् से फिल्मों के माध्यम से राष्ट्रभर में फैलाये जा रहे अश्लीलता, नग्नता व निर्लज्जता प्रधान प्रदर्शन के असामाजिक माहौल को सुधारने की दृष्टि से सिनेमागृहों में प्रदर्शित अनेकानेक फिल्मों को देखने व उनका अध्ययन करने पर पाया कि फिल्मों में अश्लीलता, नग्नता एवं निर्लज्जता की हदें पार करने के अतिरिक्त वयस्क व अंग्रेजी फिल्मों के मूल प्रिंट्स में नग्न/ब्लू दृश्यों का गैरकानूनी व असामाजिक प्रदर्शन चरमसीमा पर जारी है। इनको रोकने व कानूनी कार्यवाही हेतु पचासों शिकायतें स्थानीय पुलिस प्रशासन व मनोरंजन-कर अधिकारियों से कीं। प्रदर्शित नग्न/ब्लू फिल्मों को सैंसर प्रमाणपत्र जारी होने की सूचना दी, परन्तु जिम्मेदार अधिकारीवर्ग द्वारा प्रदर्शित इन नग्न/ब्लू फिल्मों की रोकथाम में कोई रुचि नहीं ली गई। 25.1.01 को पंजीकृत पत्र द्वारा राष्ट्रपति श्री नारायण, प्रधानमंत्री श्री वाजपेयी, सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज, सामाजिक न्यायमंत्री श्रीमती मेनका गाँधी, विपक्षी नेता श्रीमती सोनिया गाँधी, सुश्री मायावती, श्री मुलायमसिंह व आर.एस.एस के सरसंघ चालक से सिनेमागृहों में वयस्क व अंग्रेजी फिल्मों के मध्य नग्न/ब्लू दृश्यों के गैरकानूनी व असामाजिक प्रदर्शन को तत्काल रोके जाने का अनुरोध किया परन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई।

इसी मध्य सैंसर से प्रमाणित फिल्म 'भाई ठाकुर' के मूल प्रिन्ट्स में नग्न दृश्यों के प्रदर्शन को देख 10.2.01 को पंजीकृत पत्र

द्वारा सेंसर बोर्ड मुंबई व सूचना प्रसारण मंत्री सुषमा स्वराज को सूचित कर तत्काल कार्यवाही का अनुरोध किया जिस पर सैंसर बोर्ड द्वारा जारी पत्रांक सं. सीआईएल/262 दिनांक 23.3.01 से प्रदर्शित नग्न दृश्यों को पुलिस द्वारा अभिग्रहण कराये जाने हेतु हमसे कहा गया जिसका जवाबी पत्र हमारे द्वारा 9.4.01 को सैंसर बोर्ड को प्रेषित कर प्रदर्शित नग्न दृश्यों के प्रमाणीकरण के सम्बन्ध में जानकारी चाहने पर सैंसर बोर्ड मुम्बई ने 2.5.01 को जारी पत्र से प्रदर्शित नग्न दृश्यों को सैंसर से प्रमाणित नहीं होने का स्पष्ट कथन लिखते हुए पुनः हमसे पुलिस की सहायता से पकड़वाने को कहा गया।

इसी मध्य फिल्म 'साली पूरी घरवाली' के मूल प्रिन्ट्स में नग्न दृश्यों के प्रदर्शन की सूचना 17.2.01, 21.3.01 व 8.6.01 के पंजीकृत पत्रों द्वारा पुनः सूचना प्रसारण मंत्री सुषमा स्वराज व सैंसर बोर्ड को दिये जाने पर भी परम्परागत नीति के तहत कोई कार्यवाही नहीं की गई।

सिनेमागृहों में निरन्तर प्रदर्शित वयस्क व अंग्रेजी फिल्मों के मध्य नग्न/ब्लू दृश्यों के जारी प्रदर्शन के दौरान 14.4.01 को महानगर मुरादाबाद के मिगलानी सिनेमा में रोंगटे खड़े कर देने वाली नग्न/ब्लू अंग्रेजी फिल्म 'BUDDY BOY' देखने पर स्थानीय मनोरंजन विभाग से सेंसर प्रमाणपत्र नं. सीबीएल/3/25/98 मुं. सीरियल नं. 1261, दिनांक 27.7.98 श्रेणी 'व' नोट करके तत्काल सैंसर बोर्ड मुम्बई व सूचना प्रसारण मंत्री सुषमा स्वराज को पत्र दिनांक 19.4.01 प्रेषित कर अवगत करायें जाने पर सैंसर बोर्ड द्वारा जवाबी पत्र दिनांक 19.4.01 हमें भेजकर लिखा गया कि 'buddy boy' नामक कोई फिल्म प्रमाणित नहीं की गई है। इस प्रकार सैंसर बोर्ड के फर्जी प्रमाणपत्रों के प्रचलन का राष्ट्रव्यापी घोटाला सामने आने पर इसकी सूचना एवं जाँच कराये जाने हेतु तत्काल 28.5.01 के पत्र द्वारा कमिश्नर मुरादाबाद जगजीतसिंह, जिलाधिकारी मनोज कुमार सिंह, सेंसर बोर्ड, प्रमुख सचिव गृह (पुलिस) अनुभाग-3, लखनऊ को एवं 13.7.01 को पुनः जिलाधिकारी मुरादाबाद को लिखा गया

लेकिन कोई कार्यवाही पुलिस, प्रशासन एवं सरकार द्वारा नहीं की गई।

सैंसर बोर्ड के फर्जी प्रमाणपत्रों के प्रचलन का राष्ट्रव्यापी घोटाला 'उजागर' होने पर सैंसर बोर्ड को हमारे द्वारा 8.6.01 को पत्र से 59 प्रदर्शित फिल्मों की सूची पुनः प्रेषित किये जाने पर सैंसर बोर्ड द्वारा जारी पत्रांक सं. सामान्य/01, दिनांक 30.7.01 हमें प्रेषित कर 59 फिल्मों की सूची में से मात्र 18 फिल्में ही प्रमाणित किये जाने की जानकारी दी गई। सिनेमागृहों में जारी नग्न/ब्लू फिल्मों के गैरकानूनी प्रदर्शन के विरुद्ध जारी प्रयासों के चलते हमने रामपुर (उ.प्र.) के राधा सिनेमा में प्रदर्शित विदेशी फिल्म 'हॉलीवुड नाइट्स' को तत्काल जब्त कराये जाने के लिए सैंसर बोर्ड मुम्बई को 15.7.01 को फैक्स पर सूचना दी लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई।

हमारे द्वारा 30.7.01 को पुनः पत्र प्रेषित कर सूचना प्रसारण मंत्रालय व सैंसर बोर्ड से प्रदर्शित फिल्में 'हॉलीवुड नाइट्स' व 'नशीली आँखें' के सम्बंध में एवं फर्जी प्रमाणपत्रों के आधार पर प्रदर्शित नग्न/ब्लू फिल्मों की जाँच सी.बी.आई अथवा सी.बी.सी.आई.डी. से कराये जाने का अनुरोध किये जाने पर भारत सरकार व सैंसर बोर्ड ने स्वयं जाँच कराने की जरूरत नहीं समझते हुए सैंसर बोर्ड द्वारा पत्रांक सं. प्रादे/केफिप्रवो/सामान्य/2001/दिनांक 13.8.01 हमें जारी कर पूर्व पत्रांक दिनांक 2.5.01 का हवाला देते हुए पुनः पुलिस से पकड़वाये जाने हेतु हमसे कहा।

महानगर मुरादाबाद के अखिलेश सिनेमा में प्रदर्शित फिल्म 'बेवफा आशिक', सरोज सिनेमा में 'the Hunting Fear', केपिटल सिनेमा मे 'A Man & Two Women' व सरोज सिनेमा में 'जोशीली लैला" विदेशी फिल्म के ट्रेलर में नग्न/ब्लू दृश्यों के प्रदर्शन की सूचना फैक्स 19.10.01 द्वारा सैंसर बोर्ड को देकर तत्काल जब्त किए जाने का अनुरोध किया लेकिन सैंसर बोर्ड द्वारा स्वयं कोई प्रभावी कार्यवाही न की जाकर जारी पत्रांक सं. प्रशा/केफिप्रबो/सामान्य/01, दिनांक 31.10.01 हमें प्रेषित कर पूर्व

की भाँति हमसे ऐसी फिल्मों को पुलिस की सहायता से अभिग्रहण करवाये जाने हेतु लिखा गया।

हमारे द्वारा 31.10.01 के पत्र द्वारा पुनः 60 फिल्मों की सूची सैंसर बोर्ड को प्रेषित कर उनके प्रमाणीकरण के सम्बन्ध में जानकारी चाहे जाने पर सैंसर बोर्ड द्वारा हमें जारी पत्रांक सं प्राअ/केफिप्रबो/सामान्य-01 दिनांक 19.12.01 में 60 फिल्मों में से मात्र 16 फिल्में प्रमाणित किये जाने की जानकारी दी।

21 माह के निरन्तर प्रयासों के बावजूद एवं सैंसर बोर्ड, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, प्रमुख सचिव गृह (पुलिस) अनुभाग-3 लखनऊ को अनेकानेक लिखित पत्रों के बावजूद भी देशभर के सिनेमागृहों में सैंसर बोर्ड द्वारा जारी प्रमाणपत्रों एवं फर्जी प्रमाणपत्रों की आड़ में नग्न/ब्लू फिल्मों के जारी प्रदर्शन को नियंत्रित करने में सरकार द्वारा रुचि नहीं लिए जाने पर हमारे द्वारा दुःखी मन से मजबूरन, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष जनहित याचिका, सी.एम.डब्ल्यू.पी. नं. 1147/02 संजय कुमार बंसल बनाम भारत सरकार का सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, सैंसर बोर्ड मुम्बई, उ.प्र. सरकार व अन्य के विरुद्ध दायर कर सैंसर बोर्ड द्वारा जारी प्रमाणपत्रों व फर्जी प्रमाणपत्रों के आधार पर नग्न/ब्लू फिल्म के गैरकानूनी प्रदर्शन की जाँच सीबीआई से कराये जाने की प्रार्थना के साथ सैंसर बोर्ड की फिल्म प्रमाणीकरण मार्गदर्शिका का पालन सुनिश्चित कराये जाने की प्रार्थना भी की गई।

160 माह के निरन्तर प्रयासों से करीब 350 वयस्क व अंग्रेजी फिल्मों, उनके सैंसर प्रमाणपत्रों व फिल्मों की निर्माता व आवेदक कम्पनियों के सम्बन्ध में अध्ययन करते रहने के दौरान 62 ऐसी फिल्म निर्माता व आवेदक कम्पनियों की जानकारी प्राप्त हुई जो सैंसर बोर्ड के एडल्ट व अंग्रेजी फिल्मों के प्रमाणपत्र प्राप्त करने के उपरान्त फिल्मों के मूल प्रिन्ट्स में नग्न/ब्लू दृश्यों का पृथक् से गैरकानूनी समायोजन करके देश भर के सिनेमागृहों में प्रदर्शित करवा रही हैं।

सैंसर बोर्ड द्वारा हमें भेजी गई 'फिल्म प्रमाणीकरण मार्गदर्शिका'

के पृष्ठ 14 पर 'सेन्सरशिप का उल्लंघन' विषय के तहत फिल्म निर्माता व आवेदक कम्पनियों द्वारा फर्जी प्रमाणपत्रों के जारी किये जाने एवं फिल्म प्रमाणन उपरान्त मूल प्रिन्ट्स में पृथक् से दृश्यों के गैरकानूनी समायोजन की आशंका स्वयं सैंसर बोर्ड द्वारा व्यक्त की गई है।

हमारे द्वारा मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, इलाहाबाद, जे.पी. नगर, अल्मोड़ा, हल्द्वानी आदि के पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों को सिनेमागृहों में निरन्तर प्रदर्शित नग्न/ब्लू फिल्मों को जब्त किए जाने हेतु पचासों पत्र लिखे गये एवं यथासंभव सम्पर्क किया गया, लेकिन बमुश्किल मात्र 5 सिनेमागृहों-अमरोहा के अर्जुन सिनेमा में दिनांक 22.7.02 को, रामपुर के राधा सिनेमा में 10.10.02 को, अमरोहा के शिव सिनेमा में 10.12.02 को, मुरादाबाद के सत्यम सिनेमा में 21.1.03 को, मुरादाबाद के सरोज सिनेमा में दिनांक 24.5.03 को नग्न/ब्लू फिल्में प्रदर्शित होती पकड़ी जा सकीं पर अधिकृत पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों ने सैंसर प्रमाणपत्र जारी होने की बिना पर कार्यवाही करने से इन्कार कर दिया।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय व सैंसर बोर्ड की लापरवाही एवं भ्रष्ट नीतियों के चलते देशभर के सिनेमागृहों में नग्न/ब्लू, अश्लील व निर्लज्जता प्रधान फिल्मों का प्रदर्शन चरम सीमा पर जारी रहने से हमारी आत्मा अत्यंत दुःखी एवं राष्ट्रहित में चिन्तित है। अब हमारे द्वारा अत्यंत व्यथित हृदय से पंजीकृत पत्र दिनांक 13.8.03 राष्ट्रपति डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम एवं प्रधानमंत्री वाजपेयी जी को भेजकर सैंसर बोर्ड से प्रमाणन पश्चात् एडल्ट व अंग्रेजी फिल्मों के प्रिन्ट्स में नग्न/ब्लू दृश्यों के गैरकानूनी समायोजन करने वाली फिल्म निर्माता व आवेदक कम्पनियों व सैंसर बोर्ड के फर्जी प्रमाणपत्रों की कूट रचना करने वाले रेकिट की जाँच, धरपकड़ व कानूनी कार्यवाही हेतु सीबीआई नियुक्त किये जाने के अनुरोध के साथ ही सैंसर बोर्ड द्वारा फिल्मों में अभिनेत्रियों के अश्लील, अर्द्धनग्न, कामुक व निर्लज्जता-प्रधान दृश्यों के

प्रमाणन पर तत्काल व्यावहारिक रोक लगाये जाने की प्रार्थना करते हुए, ऐसे अश्लील एवं निर्लज्जता-प्रधान दृश्यों के रूप में आर्थिक लाभ अर्जित करने के लिए जिस्म प्रदर्शन करने वाली अभिनेत्रियों एवं मॉडल युवतियों के विरुद्ध महिला असभ्य चित्रण (निषेध) अधिनियम 1986 व भारतीय दण्ड संहिता की धारा 292/293/294 के तहत कानूनी कार्यवाही कर तत्काल दण्डित किये जाने की माँग की गई थी।

हमारा मानना है कि राष्ट्र एवं समाज में चरमसीमा पर जारी अश्लीलता, नग्नता एवं निर्लज्जतापूर्ण माहौल में सुधार होने पर महिलाओं के विरुद्ध होने वाले सैक्स अपराधों में भारी कमी आयेगी, न सैक्स बलात्कारी को फाँसी की सजा मात्र का प्रावधान करने से।

फिल्मों के अतिरिक्त समाचार पत्रों, पत्रिकाओं एवं दवाई कम्पनियों व विदेशी कम्पनियों के प्रबन्धकों/स्वामियों एवं सम्पादकों को भी हमने कानूनी नोटिस जारी किये।

कोहिनूर कन्डोम्स की निर्माता टी टी के-एलआइजी लिमिटेड, 6 कैथेड्रल रोड, चैन्नई-86 को नोटिस दिनांक 5.8.03 प्रेषित किया। उक्त नोटिस-प्राप्ति के उपरान्त उक्त के अश्लील सचित्र विज्ञापन 10 अगस्त के पश्चात् से किसी समाचारपत्र में हमारी जानकारी में नहीं छपे हैं।

शूट पावन दवाई की कम्पनी दीनदयाल औषध प्रा. लि. ग्वालियर एवं जोश हर्बल कैप्सूल की कम्पनी ज्योति फार्मेसी प्रा. लि., ओरई को भी समाचारपत्रों में अश्लील विज्ञापनों का प्रकाशन कराये जाने पर कानूनी नोटिस जारी किये।

समाचार पत्रों-अमर उजाला, दैनिक जागरण, पंजाब केसरी, संवाद केसरी एवं पत्रिकाओं-रोमांटिक दुनिया व सुपरहिट स्टोरी के सम्पादकों को भी नोटिस प्रेषित कर अश्लील चित्रों के प्रकाशन को रोकने हेतु लिखा गया।

भारतवर्ष में प्रत्येक क्षेत्र में फैल रही अश्लीलता, नग्नता एवं निर्लज्जतापूर्ण प्रदर्शन को नियंत्रित एवं सुधार हेतु प्रयास करते रहने के लिए हम आजीवन दृढ संकल्प हैं।

शिव विहार कालोनी, मुरादाबाद (उ.प्र.)

हमारे न्यायालय सुस्त क्यों?

–विद्युत विद्यालंकार

इंडोनेशिया की संसद ने वहाँ के राष्ट्रपति श्री अब्दुर्रहमान वाहिद के विरुद्ध महाभियोग चलाने का निश्चय किया। श्री वाहिद ने धमकी दी कि यदि संसद ने अभियोग चलाया तो वह आपातकाल (इमर्जेन्सी) घोषणा कर देंगे और संसद को भंग कर देंगे।

इस धमकी से विचलित हुए बिना संसद ने महाभियोग की सुनवाई शुरु की। राष्ट्रपति वाहिद ने कुछ नये पुलिस तथा सैनिक अधिकारी नियुक्त कर दिये। इससे क्षुब्ध होकर संसद ने 23 जुलाई 2001 को एक ही दिन की सुनवाई में सर्वसम्मति से राष्ट्रपति को उनके पद से हटा दिया और उनके स्थान पर उपराष्ट्रपति श्रीमती मेघवती सुकर्णपुत्री को राष्ट्रपति पद की शपथ दिला दी।

बदले में राष्ट्रपति ने संसद के अधिवेशन को अवैध घोषित कर दिया और संसद को भंग कर दिया।

संसद की ओर से एक याचिका उच्चतम न्यायलय में प्रस्तुत की गई। उच्चतम न्यायालय ने उसी दिन सुनवाई करके निर्णय दिया कि राष्ट्रपति को संसद को भंग करने का अधिकार नहीं है।

राष्ट्रपति को पुलिस या सेना में कोई समर्थक न मिला। श्रीमती मेघवती सुकर्णपुत्री राष्ट्रपति बन गई।

भारत में तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव हुए। अन्ना द्रमुक की नेता सुश्री जयललिता ने अलग अलग जगहों से चार नामांकन पत्र भरे। वे सब इस आधार पर अस्वीकृत कर दिये गए कि वह भ्रष्टाचार के मामले में तीन साल की सजा पा चुकी हैं, अतः चुनाव नहीं लड़ सकतीं। उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा।

पर उनकी पाटी अन्ना द्रमुक चुनाव जीत गई। पार्टी ने जयललिता को अपना नेता चुना। उन्होंने राज्यपाल के पास जा कर मुख्यमंत्री बनने का दावा पेश किया। राज्यपाल ने उन्हें चटपट मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी।

इसके विरोध में उच्चतम न्यायालय में याचिका दी गई कि सुश्री जयललिता को मुख्यमंत्री पद पर काम करने से रोका जाये क्योंकि उनकी नियुक्ति अवैध है।

उच्चतम न्यायालय ने इस पर विचार के लिए सितम्बर की कोई तारीख दी। अधिक सम्भावना यह थी कि इस याचिका का निर्णय होते होते दो तीन महीने सुश्री जयललिता के लिए विधान सभा का सदस्य बनना आवश्यक होगा अन्यथा उन्हें मुख्यमंत्री पद छोड़ना होगा।

यदि छह महीने बाद उन्होंने अपना पद छोड़ दिया तो उच्चतम न्यायालय के निर्णय का कोई अर्थ ही नहीं रह जायेगा।

हमारे देश में इंडोनेशिया और अमेरिका की तरह उच्च न्यायालयों के निर्णय तुरत फुरत क्यों नहीं हो सकते? अमेरिका में भी राष्ट्रपति के चुनाव के विषय में श्री अलगोर और जार्ज बुश के बीच चले कानूनी विवाद में वहाँ के उच्चतम न्यायालय तुरत फुरत निर्णय सुनाते रहे।

आर्य समाज दीवान हाल, दिल्ली

राष्ट्रपति का बड़प्पन

(डॉ. राजेन्द्र प्रसाद (पूर्व राष्ट्रपति) के जन्मदिवस पर)

-रेनू सैनी

यह घटना उस समय की है जब डॉ. राजेन्द्र प्रसाद देश के राष्ट्रपति थे। देश-विदेश के अनेक अतिथि उनके पास आते रहते थे। एक विदेशी ने एक बार उन्हें हाथी दाँत की एक कलम भेंट की। वह कलम राजेन्द्र बाबू को इतनी अच्छी लगी कि वे हरदम उसी से लिखते थे। एक दिन उनके सेवक 'तुलसी' से काम करते समय वह कलम टूट गई। राजेन्द्र बाबू बेहद दुखी हुए। उन्होंने अपने निजी सचिव को बुलाया और कहा, 'तुलसी को आप यहाँ से हटाकर बगीचे में अथवा कहीं और काम पर रख दीजिए जहाँ उसके हाथ से टूट-फूट होने की आशंका न हो।' सचिव ने तुलसी को बगीचे में लगा दिया। एक-दो दिन तो किसी तरह बीत गये लेकिन तीसरे दिन राजेन्द्र बाबू को तुलसी के बिना बेचैनी होने लगी। वह सोचने लगे कि तुलसी कौन सा जानबूझकर तोड़-फोड़ करता था। अनजाने में भूल-चूक हो ही जाती है। मैंने उसे यहाँ से हटाकर उसका अपमान किया है, उसका दिल दुखाया है। मुझे तुरंत अपनी गलती सुधार लेनी चाहिए। यह सोचकर उन्होंने तुलसी को बुलवाया। तुलसी डरते-डरते आया और मुँह लटका कर खड़ा हो गया। राजेन्द्र बाबू ने उससे कहा, 'तुम्हें यहाँ से हटाकर मैंने भूल की है। अब तुम यहीं पर मेरे पास काम करोगे और हाँ, जो भूल मैंने की है उसके लिए मुझे क्षमा कर दो। कहो कि तुमने मुझे क्षमा कर दिया है।' तुलसी यह सुनकर द्रवित हो गया। उसकी आँखें छलछला उठीं। वह उनके पाँवों में गिरने के लिए झुका लेकिन राजेन्द्र बाबू ने उसे थाम लिया और बोले, 'अरे यह क्या कर रहे हो? मैं माफी माँग रहा हूँ और उलटे तुम मुझे दोषी बना रहे हो। जब तक तुम मुझे माफ नहीं करोगे तब तक मैं यहीं इसी तरह खड़ा रहूँगा।' आखिरकार तुलसी को बोलना पड़ा, 'मैंने आपको क्षमा किया।' यह सुनकर राजेन्द्र बाबू सहज हुए और उन्होंने तुलसी को गले लगाकर फिर से पहले वाले काम पर लगा दिया।

देवता और असुर में अन्तर

एक बार प्रजापति ने एक भोजन का निमंत्रण दिया। अतिथियों में देवता भी थे और असुर भी थे। असुर बोले-"आप हमारे साथ सदा अन्याय करते हैं। इस बार हम अन्याय को सहन नहीं करेंगे।"

असरुों ने पूछा- "ज्ञान में, शक्ति में, हर बात में हम देवताओं से आगे हैं, किन्तु भोज में पहले देवताओं को खिलाया जाता है, बाद में हमारी बारी आती है। आप देवताओं के साथ हमारा शास्त्रार्थ कराइए, किसी भी विषय पर। यदि हम जीत जाएँ तो यह अन्याय रोक दें, नहीं तो हम यह अन्याय चलने नहीं देंगे।"

प्रजापति बोले- "तो आप पहले भोजन कर लें, परंतु एक शर्त माननी होगी।"

असुरों ने पूछा- "शर्त क्या है?"

प्रजापति बोले- "आपके दोनों हाथों के साथ तीन-तीन फुट की खपच्चियाँ बाँध दी जाएँगी। हाथों की जगह आपको खपचियों से खाना होगा।"

असुरों ने शर्त स्वीकार कर ली। बाँध दी गई खपचियाँ। असुर बैठ गए भोजन करने। उनके सामने पत्तलों पर पूरी, कचौरी, हलवा, खीर, रसगुल्ले, सब रख दिए गए।

खाना शुरू किया तो पूरी मुँह में डालते थे और पूरी सिर के पीछे जा गिरती। खीर मुँह में डालते, परन्तु नाक या आँख में गिर पड़ती। आधे घंटे में वस्त्र भी गंदे हो गए, हाथ-मुँह भी, किन्तु मुँह में एक भी ग्रास न पहुँचा। भूखे ही उठना पड़ा। तब स्थान साफ कराया गया। नई पत्तलें रखी गईं। देवताओं के भी हाथों के साथ खपचियाँ बाँध दी गईं। खाना परोस दिया गया। देवता दो पंक्तियों में बैठे, आमने-सामने। इधर के देवता ने उधर सामने के देवता को खिलाया उधर के देवता ने इधर के सामनेवाले को खिलाया। देवताओं ने सभी पकवान खाए और सभी के पेट भर गए।

यही है देवता और असुर में अंतर। देवता दूसरे को खिलाकर प्रसन्न होता है, असुर अपना ही पेट भरना चाहता है। वह यह नहीं समझता कि जो औरों को खिलाते हैं, उनका अपना पेट भी भर जाता है।

मुस्लिम कानून–संविधान की कसौटी पर

–भगवतीप्रसाद सिंहल

1. भारत देश में आजकल मुस्लिम कानून अथवा शरियत सन् 1937 में निर्मित मुस्लिम विधि शरियत एप्लीकेशन अधिनियम, 1937 प्रावधानों के कारण से ही लागू है और इसलिए भी उसमें संशोधन का अधिकार देश के कानून के अनुसार है।

2. शरियत का कानून अधिनियम न होने से विभिन्न सम्प्रदायों के कानून में अन्तर होने से एवं उनकी व्याख्या में अन्तर होने से उसके लागू करने में कठिनाई होती है। उसके साथ ही उसके प्रचलित कुछ प्रावधान अपने पवित्र संविधान एवं देश के कानून के भी विपरीत हैं और सार्वजनिक सुरक्षा शान्ति, स्वास्थ्य एवं नैतिकता के लिए खतरे का कारण हैं।

3. उनकी अपनी विधियों के अतिरिक्त धारा 123 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के प्रावधानों के अनुसार तलाक दी गई पत्नी के भरण पोषण के लिए धनराशि उसके स्वयं धन उपार्जन कर सकने में सक्षम होने तक दिलाई जाती है। मुस्लिम विधि में पत्नी के तलाक दिए जाने से तीन मासिक धर्म होने तक की इद्दत की अवधि तक उसके भरण पोषण का भार उसके पूर्व पति पर है अर्थात् मुस्लिम विधि में पत्नी भरण पोषण कर सकने में भी असमर्थ हो तो मुस्लिम विधि में उसके भरणपोषण का कोई प्रावधान नहीं है जबकि हिन्दू विधि में इसका प्रावधान है।

4. मुस्लिम विधि के अनुसार पति द्वारा तलाक दी हुई पत्नी के भरण पोषण का भार केवल तीन मास की अवधि तक की इद्दत की अवधि तक का ही होता है। उसके पश्चात् पति का दायित्व अपनी तलाक दी हुई पत्नी के भरण पोषण का नहीं रहता जिसका प्रावधान हिन्दू विधि में है। यूनिफार्म सिविल कोड लाने के प्रयास में कुछ सीमित धन पत्नी को उसके भरण पोषण तक मिल सके, इसका प्रावधान दण्ड प्रक्रिया

संहिता 1973 की धारा 125 में किया गया है जिसका विरोध मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग 12 वर्ष पश्चात् कर रहे हैं जबकि मानवीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय ए.आई.आर. 1985 उच्चतम न्यायालय 945 है, दिनांक 22.4.1985 को पारित हुआ था।

5. सम्पूर्ण विश्व में एक पत्नीत्व को समाज के लिये सुखद माना गया है और इसी आधार पर धार्मिक मान्यतायें होते हुए भी हिन्दुओं में प्रचलित बहु-विवाह को कानून द्वारा प्रतिबन्धित कर दिया गया है। मुसलमानों में केवल पतियों को एक समय में चार पत्नियाँ रखने का अधिकार है जो उपरोक्त कारणों से भी उचित नहीं है। यह प्रथा सार्वजनिक, सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं नैतिकता की दृष्टि से भी उचित नहीं है।

6. मुस्लिम विवाह में दो साक्षी होना आवश्यक है जिनमें कम से कम एक पुरुष अवश्य होना चाहिए और एक पुरुष साक्षी के स्थान पर दो महिला साक्षी होनी चाहिए। यहाँ जहाँ केवल महिलायें साक्षी नहीं हो सकतीं वहीं उसकी साक्ष्य का मूल्य पुरुष की साक्ष्य के मूल्य से आधा है। यह कानून समता के मूलभूत अधिकार का हनन करता है।

7. मुस्लिम पुरुष को अपनी पत्नी को बिना कारण बताये बिना उसको सुनवाई का अवसर दिये, बिना किसी न्यायाधिकरण से डिग्री प्राप्त किये, केवल अपनी इच्छा से केवल तीन बार तलाक शब्द के उच्चारण मात्र से तलाक देने का अधिकार है। मुस्लिम महिला सदैव अकारण एकांगी तत्काल तलाक की नंगी तलवार के नीचे दबी रहती है। यह देश के संविधान समता, सार्वजनिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं नैतिकता के भी विपरीत है।

8. हिन्दुओं में पति पत्नी आपस में तलाक हो जाने पर भी यदि वे चाहें तो पुनः विवाह कर सकते हैं-जबकि मुसलमानों में ऐसा करने के पूर्व पत्नी को पवित्र होना पड़ता है। मुस्लिम

महिला को ही पवित्र होना पड़े और वह भी दूसरे पुरुष से विवाह कर उससे संभोग करा, उससे तलाक लेकर, पर पुरुष से संभोग कराने से क्या मुस्लिम महिला का शील सतीत्व नष्ट नहीं होता? वह पवित्र हुई या अपवित्र? हलाला की यह विधि भी संविधान में प्रदत्त समता के अधिकार का हनन होकर सार्वजनिक शान्ति, सुरक्षा एवं स्वास्थ्य और नैतिकता के विपरीत है।

9. मुस्लिम पत्नी अपने पति की बाँदी सम होती है, आर्थिक दृष्टि से वह अपने पति पर पूर्णतया निर्भर होती है और अपने पति की इच्छा के विपरीत छोटा सा कार्य तक नहीं कर सकती। कामसुख के प्रतिफल में उसे दिया जाने वाला मेहर धन को चुकाना भी पति की इच्छा पर निर्भर है।

10. किसी भी अचल सम्पंत्ति को दान में देने के लिय दानपत्र का लिखित में पंजीयन कराया जाना आवश्यक है जबकि मुसलमानों द्वारा दिया गया दान मौखिक हो सकता है, अचल सम्पत्ति का विक्रय या रहन का लेखबद्ध होकर पंजीयन आवश्यक है इससे अनावश्यक पैचीदगियाँ उत्पन्न होती हैं।

11. माँ, पत्नी, पुत्री को हिन्दुओं में उत्तराधिकार में पुत्र के सम-भाग में सम्पत्ति मिलती है जबकि मुस्लिम कानून के अनुसार पुत्री को पुत्र के मुकाबले में आधी सम्पत्ति मिलती है। विधवा पत्नी को 1/6 भाग और माँ को 1/3 भाग ही मिलता है। लिंग के आधार पर उत्तराधिकार में भेद-भाव संविधान अनुकूल नहीं है।

12. उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि मुस्लिम विधि के उपरोक्त प्रावधान अपने पवित्र संविधान, अपने देश के कानून के अनुकूल न होकर उसके विरोध में है जिनका राष्ट्र हित, राष्ट्रीय एकता के लिए संशोधित, समानीकरण करने हेतु किया जाना अति आवश्यक है।

संविधान और मुस्लिम महिलाएँ पुस्तक से साभार

प्रश्न उत्पीड़न से महिलाओं की मुक्ति का

–प्रो. लक्ष्मीकान्ता चावला, पूर्व विधायक

एक बार नहीं बल्कि प्रतिवर्ष दो बार अपने देश के करोड़ों लोग कन्या पूजन करते हैं। बंगाल का दुर्गा पूजा पर्व उतना ही महत्त्वपूर्ण है जितना महाराष्ट्र का गणेश उत्सव अथवा केरल का ओणम या पंजाब की वैसाखी। नवरात्रों के दिनों में सारे भारत में यूँ कहिए पूरे विश्व में, जहाँ भी हिन्दू समाज बसा है, कन्यापूजन दस दिनों तक चलता है। गृह-प्रवेश, विवाहादि शुभ अवसरों पर कंजक (कन्या) पूजन के बिना धार्मिक कार्य सम्पन्न नहीं होते, और मनु महाराज ने तो यह घोषणा ही कर दी कि जहाँ नारी का आदर होता है, वहीं देवता निवास करते हैं। भारतीय मान्यताओं में नारी दुर्गा है, शक्ति है, लक्ष्मी और सरस्वती है। हर भाषण और प्रवचन में महिलाओं के लिए ऐसे ही विशेषण सूचक शब्दों का उच्चारण होता है।

पर खेद है कि केवल शब्दों का ही आचरण होता है जिनमें भावनाएँ नहीं जुड़ीं, इसीलिए उनका हृदय से कोई सम्बन्ध नहीं। वे केवल कैसेट के मशीनी गान हैं, गायक की भावनाओं का उसमें कोई अंश नहीं। श्रोता का मन कभी-कभी श्रद्धा या आवश्यकतानुसार अथवा मौज-मस्ती के लिए गीत के शब्दों के आधार पर जुड़ा रहता है अन्यथा ऐसे समाचार क्यों मिलते कि अपने देश के कुछ डॉक्टर गर्भस्थ शिशु के लिंग की जाँच के पश्चात् लड़की होने का संकेत 'जय माता की' तथा लड़के होने की स्थिति में – 'जय श्री कृष्ण' कहकर देते हैं। उन्हें न माता की जय में आस्था है न जय श्रीकृष्ण में श्रद्धा, बस काम चलाऊ व्यवस्था है।

हमें यह स्वीकार करना ही होगा कि आज के भारतीय समाज में महिला उपेक्षिता, तिरस्कृता और आवंछिता है, अन्यथा जन्म से पूर्व ही लाखों बेटियाँ प्रतिवर्ष पंजाब, हरियाणा तथा भारत के अधिकांश प्रान्तों में क्यों मार दी जातीं? जो लड़कियाँ आज ज्ञान-विज्ञान एवं प्रशासनिक सेवाओं के मार्ग में आगे

बढ़ रही हैं अथवा शिखरों को छू चुकी हैं उनमें उनकी अपनी अन्तः शक्ति और योग्यता का अधिक योगदान है। निश्चित ही पारिवारिक परिवेश एवं माता-पिता के प्रोत्साहन को भी श्रेय देना ही होगा और सौभाग्य से हमारे संविधान ने प्रगति के सभी पथ महिलाओं के लिए समान भाव से खुले रखें हैं। आज यक्ष प्रश्न तो यह है कि जो भारतीय समाज नारी को दुर्गा और शक्ति के रूप में सम्मान देता है जिसके मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीरामचन्द्र जी ने बाली वध का औचित्य स्पष्ट करने हुए यह कहा कि अनुज वधू, पुत्रवधू, बहन और बेटी समान हैं, इनको जो कुदृष्टि से देखता है, उसकी हत्या करने में भी कोई पाप नहीं और जिस भारत देश के ऋषियों ने यह घोषणा कर दी कि वही पंडित है जो परस्त्री को माँ रूप में देखता है, उसी भारतवर्ष में प्रतिवर्ष लाखों बेटियाँ यौन-शोषण जैसे घृणित अपराधों की शिकार हो रही हैं और आज भी न कानून, न शासक और न ही धर्मगुरु इन बढ़ते अपराधों को रोकने में सफल हो रहे हैं। क्षमा कीजिए अगर सच कहूँ तो कोई इसे रोकने या नियन्त्रित करने के प्रति गम्भीर ही नहीं है। ऐसी स्थिति में केवल शाब्दिक विशेषणों से भाषण-मंचों पर देवी दुर्गा कह देने से तो देश की बेटियाँ का कल्याण नहीं हो सकता।

यह जानकारी हमें दी गई कि भारत में एक घण्टे से भी कुछ कम समय में एक महिला बलात्कार की शिकार हो रही है, पर वास्तव में कितना अपराध हो रहा है उसकी सही जानकारी तो किसी को भी नहीं, क्योंकि अधिकतर परिवार की इज्जत और कहीं समाज की शर्म के नाम पर ऐसी शिकायतें दर्ज ही नहीं करवाई जातीं। वैसे भी ढीली और दोषपूर्ण न्यायिक प्रक्रिया के कारण बहुत से अपराधी बच जाते हैं। यह खेद का विषय है कि अपराध पीड़ित महिला के प्रति आम समाज से सहानुभूति ज्यादा नहीं मिलती और राजनीति के व्यापारियों को भी केवल वही पक्ष दिखाई देता है, जहाँ उनका वोट सुरक्षित है, अपराधी और अपराध-पीड़ित का अन्तर उनके

लिए विशेष महत्त्व नहीं रखता।
हमारे कथावाचक धर्मगुरु तो स्वर्ग का, मोक्ष का, आत्मा को परमात्मा के यहाँ सुरक्षित भेजने का रास्ता तो कुशलता से बता देते हैं किन्तु घर, बाजार, आफिस, रेलगाड़ी में कैसे लौकिक शत्रुओं से रक्षा की जा सकती है, इस विषय पर मौन ही हैं। उनके लिए यही वर्णन मात्र पर्याप्त है कि श्रीकृष्ण जी द्रोपदी के लिए वस्त्रों का भण्डार ले आए या श्रीरामचन्द्र जी ने सीता के अपहरणकर्ताओं को निर्वश कर दिया, लेकिन गली-गली में लुट रही इज्जत, सिसकती बेटियाँ, शोषित गरीब आदमी उनकी सहायता या करुणा का पात्र नहीं बन पाता।
मैंने कुछ दिन पहले ही यह लिखा था कि समाज और कानून के कर्णधारों की यह कर्त्तव्यविमुखता जन-जन में आक्रोश पैदा कर रही है और देश में एक नया जन-आन्दोलन प्रारंभ होने जा रहा है जो स्वतंत्रता आन्दोलन से कहीं अधिक प्रबल होगा। उसमें एक नहीं अनेक लक्ष्मी और दुर्गा शस्त्र ग्रहण करेंगी। असंख्य बिस्मिल, भगतसिंह और सावरकर संघर्ष करने को विवश होंगे। ताजा समाचार है नागपुर की खर्बी बस्ती में दो गुण्डों को महिलाओं ने पीट-पीटकर मार दिया, कुछ सप्ताह पहले नागपुर के सैशन जज की अदालत में 40 बलात्कारों एवं दर्जनों हत्याओं का आरोपी अक्कु यादव भी अपराधों से दुःखी महिलाओं के हाथों "मुक्त" हुआ। जब कानून के रक्षक लिहाज निभाते या रिश्वत खाते रहेंगे तो ऐसा ही होगा।
सच तो यह है कि पूरे देश में दुर्गा, शक्ति पुनः जागृत हो रही है। हाल ही में अमृतसर की एक बेटी ने अपनी माँ के सहयोग से उस पिता की हत्या की जो अपनी तीनों बेटियों के प्रति अपराधी था। उड़ीसा की एक बेटी पिता की हत्या कर स्वयं थाने गई। बिहार सीतामढ़ी क्षेत्र में भी ऐसा ही जनाक्रोश प्रकट हो चुका है। अन्याय और अत्याचार से निपटने के लिए जनान्दोलन सुलग रहा है। अगर परिस्थितियाँ ऐसी ही रहीं तो 1857 का स्वातन्त्र्य समर दोहराया भी जा सकता है।
पर आश्चर्य यह भी है कि चण्डमुण्ड मर्दन करने वाली,

रक्तबीज का रक्त पीने वाली, मधु-कैटभ का संहार करने वाली देवियों की हम पूजा करते हैं किन्तु नागपुर, उड़ीसा या पंजाब में अपनी अस्मिता की हिफाजत में शस्त्र उठानेवालियों को सलाखों के पीछे भेज देते हैं लेकिन जिनके कारण अत्याचार-पीड़िता को कानून हाथ में लेना पड़ा, वे शासक या अफसर बने रहते हैं। *प्रश्न यह है कि जब अदालत में यह सिद्ध हो जाता है कि पीड़ित महिलाओं को कानून तथा उसके रखवाले न्याय नहीं दे सके और इसीलिए महिलाओं ने मिलकर स्वयं अपराधी को दंडित कर दिया तो फिर कानून उन अफसरों को दंडित न करके उन महिलाओं को दंडित क्यों करता है? इसका अर्थ तो यह है कि कानून स्वयं गुण्डों की रक्षा करता है तो फिर यदि कानून ही ऐसा है तो उसे बदल ही क्यों न दिया जाना चाहिए और यदि कानून ठीक है तो उस प्रक्रिया का सुधार क्यों नहीं किया जाना चाहिए? यदि कोई मुझ पर आक्रमण करता है तो मुझे अधिकार है कि मैं आत्मरक्षा में उस पर गोली चला दूँ तो बलात्कार को ऐसा ही आक्रमण मानकर उस महिला को उसे मार देने का अधिकार क्यों नहीं मिलना चाहिए? यह एक प्रश्न है पर दूसरा-जिस रूप में महिलाओं के सशक्तीकरण का विधेयक संसद में लाया जा रहा है, कहीं वह महिलाओं पर हो रहे पुरुषों के अत्याचार के एक अतिवादी छोर से हटकर पुरुषों और उनके सभी सम्बन्धियों पर बहुओं द्वारा अत्याचार के दूसरे अतिवादी छोर तक पहुँच रहा है? यह बहुत गम्भीरतापूर्वक विचार करने और सावधानी बरतने लायक बात है।*

सामने आ रहे सच को देखना ही होगा। अगर देश के शासक, राजनेता और कन्धों पर शेर और सितारे चमकाने वाले बड़े-बड़े साहब महिलाओं और मासूमों के सम्मान की रक्षा न कर पाए तो हर शहर को नागपुर बनने से कोई भी रोक न पाएगा पर यह समय अराजकता का होगा, जिसे कभी सराहा नहीं जा सकता।

Sanyas Isn't About What You Give Up

-Gurudevshri Rakeshbhai

India has offered a most priceless gift to the world, instrumental in the evolution of our consciousness, and that is sanyas or what is popularly perceived as renunciation. It is life's supreme experience, the peak of all experiences. Saints are established in this unparalled elevation. Their state of being so exalted, their life so noble, that they are exalted to the highest pinnacle and our heads bow down at their lotus feet, in faith and reverence.

Sanyas means to live a God-centred life and not a world-centred life. It means not to get entangled in the seen, but to seek the unseen. Sanyas means not to be confined to the form, but to unite with the formless. It is a declaration that in truth, life is not restricted to the momentary bubbles that arise in the constant ebb and flow of time. Life is eternal. It is not sandwitched between birth and death; it existed even before birth and death on existed even before birth and will exist even after death. Thousands of births and deaths may occur but the stream of life flows on, uninterrupted. To know that which is unbroken, eternal and beyond time is sanyas. Transcending all duality and being steadfast in the non-duals is sanyas-it is the zenith.

However, the meaning of sanyas has been distorted in popular perception. The greatness of a sanyasi is considered to be directly proportional to the amount of wealth or status he has renounced, not how much closer he has come to the Self, how loving he has become or the depth of his meditation. People focus on how much he has given up rather than what he has attained.

The word 'sanyas' has acquired a negative connotation as it has become synonymous with only 'giving up'. It is true that one lets go of many things in sanyas, but the focus and emphasis is not on that. Let us say you are carrying a stone in your hand thinking it is a diamond and you come across

a jeweller. He explains that it is not a diamond but a mere stone. Not only that, he also shows you how to verify the same. He thus gifts you with the correct vision. You too are able to clearly see that it is a stone. Do you then have to renounce the stone or does it simply drop?

In sanyas, things just drop effortlessly; one does not have to give them up. Once a lamp is lit, you need not give up darkness. It simply disappears, on its own. In the same way, when the flame of meditation rises, one's grip on all those things that are worthless in life is released. The hands loosen on their own; things drop automatically. Therefore, the emphasis of sanyas is not on giving up but on becoming steady in the Self: on holding on to God.

Sanyas means love for God. It is defined as renouncing the world, but I say sanyas is rising in love with God. In sanyas, it is true that the world is left behind, but that is only secondary.

Sanyas should emerge from wisdom, love for God and not from any other reason. If sanyas is union with the Divine, then it can regain its true meaning and help us scale the highest peaks. A true sanyasi is an evolved being who transcends all that is not worth clinging on to and who realises his true, loving nature, by making that divine connection.

BRAHMASHA INDIA VEDIC RESEARCH FOUNDATION ACKNOWLEDGES WITH THANKS RECEIPT OF THE DONATION of Rs. 1100/- from Ms. Uma Monga, C2B/ 92C, Janakpuri New Delhi-110058

Donations to the Foundation are eligible for Tax Exemption under Section 80G of the Income Tax Act 1960 Vide No.DIT(E)1/3313/DELBE 21670-2503210 dated 25.03.2010

Date of Pubn. : 31.12.2017 Posted at - NIE - H.O. Postal Date : 2-3 Jan. 2018
RNI Reg. No. DELBIL/2007/22062 Postal Regd. No. DL(W) 10/2143/2017-2019

अद्भ्यः क्षीरं व्यापिबत् क्रूङ्ङाङ्गिरसो धिया।ऋतेन सत्यमिन्द्रियं।
विपानं शुक्रमन्धसऽइन्द्रस्येन्द्रियमिदं पयोऽमृतं मधु।।(यजु.19/73)
ऋषिः शङ्खः, देवता-अंगिरसः, छन्दः-निचृत् त्रिष्टुप्

एक हंस जल मिश्रित दूध में से दूध और और पानी को अलग करके दूध पी सकता है। इसी प्रकार एक विद्वान् व्यक्ति अपने अन्तर करने की क्षमता को ज्ञान, योग, आन्तरिक शुद्धि, मधुरवाणी, शुद्ध भोजन आदि के द्वारा विकसित कर सकता है और सत्य-असत्य के भेद को जान सकता है तथा केवल सत्य को अपना सकता है।

A Swan can separate the milk from the water and drink the milk. Similarly a learned person can attain the ability to discriminate by knowledge, Yoga, purity of innerself, madhurvani (sweet voice), pure food etc. One can make difference between truth and untruth and accept the truth.

Printed by - Friendsprintofast, New Delhi-58